कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांकः– टीसीबी / 2018 / 215

दिनांकः– 12/02/2018

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 24 जनवरी 2018 को अपराह 3.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आर.ए.एस आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवंम् अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षत में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

एजेण्डा नं. 1. :– गत बैठक दिनांक 31 जुलाई 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि ।

निर्णय :– अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक दिनांक 31 जुलाई 2017 में लिये गये की पुष्टि की गई ।

एजेण्डा नं. 2.– रूट नं. 3/27 का वृद्धिकरण बाबत् :– भट्टी की बावडी से गांधी नगर, माता का थान, शिक्षक नगर, अमर नगर, पी.एस. गार्डन, सारण नगर फाटक रेल्वे कैंट तक बढोतरी करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रादेशिक परिवहन विभाग, जोधपुर द्वारा 15 दिन में सर्वे रिर्पोट कर प्रस्तुत करें । इसके पश्चात् अग्रिम निर्णय हेतु समिति के समक्ष रखा जायें ।

एजेण्डा नं. 3 :– **(i)** माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल (पीआईएल) नं. 13584/2015 श्री सुशील कुमार ओझा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश की पालना में प्राईवेट बस स्टेण्ड नोटिफाईड करने बाबत् । पत्र क्रमांक – एफ.9/परि/आरटीए/जोधपुर/2016/40756 जयपुर, दिनांक 10.08.2017

निर्णय :– उक्त प्रकरण की पालना हो चुकी है ।

(ii) नागौर रोड से आने वाली बसों के लिए डी.बी. सिविल रिट संख्या 13584/2015 सुशील कुमार औझा ब नाम राज्य में माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रूट आंगणवा, माता का थान, मंगरा पुंजला होते हुए भदवासिया निर्धारित किया हुआ है । उक्त रूट की क्षतिग्रस्त सडक मार्ग के मरम्मत बाबत् ।(क्रमांक :– अति पु.उप.याता./2017/701–03 दिनांक 08.09.2017)

निर्णय :– उक्त प्रकरण की पालना शेष नहीं है ।

(iii) डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 13584/2015, 5234/2012,5077/2013 क्रमशः सुशील कुमार ओझा, चैनसिंह विलयभवानी एवं अन्य में आदेश सलंग्न सूची अनुसार गति सीमा बोर्ड लगवाने बाबत् (क्रमांक :– य .2( )जोध–पू.उपा.याता./2017/4145–47 दिनांक 11.09.2017)

निर्णय :– उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा चुकी है।

एजेण्डा नं. 4 :– सुरक्षा के लिए जिक – जैक बैरिकैड लगाने के सम्बन्ध में
पत्र क्रमांक – 622–25 दिनांक 19.08.2017

अशोक उधान के सामने सडक चौडी होने से तेज गति से चलते वाहनों के कारण उधान में आने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्घटना की आशंका के लिए ।

निर्णय :-- समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अशोक उधान के सामने सडक चौडी होने से तेज गति से चलते वाहनों के कारण उधान में आने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्घटना की आशंका के लिए रबल स्ट्रीप स्पीड ब्रेकर लगाने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा नं. 5 :– **हारूण मंजिल (मच्छी मार्केट मोड) नई सडक (सनसिटी बर्तन भण्डार) टैक्सी स्टेण्ड पर आमजन में सूचना हेतु नो–पार्किंग का बोर्ड लगवाये जाने के सम्बन्ध में। इस स्थान से टैक्सी स्टेण्ड को हटाया गया था ।**
पत्र क्रमांक :– य–2( )जोध./पु.उपा.याता./2017/4266–67 दिनांक 20.09.2017

निर्णय :– समिति के निर्देश पर नगर निगम द्वारा नो–पार्किंग का बोर्ड लगाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई ।

एजेण्डा नं. 6 :– शिकारगढ मिनी मार्केट से बनाड रोड जाने वाली लिंक रोड पर हल्का स्पीड ब्रेकर बनाये जाने तथा स्कूल होने का संकेत बोर्ड लगाने बाबत् ।
क्रमांकः–प 2( )जोध/पु.उपा.याता./2017/5154 दिनांक 10.11.2017

निर्णय :– समिति द्वारा शिकारगढ मिनी मार्केट से बनाड रोड जाने वाली लिंक रोड पर हल्का स्पीड ब्रेकर नगर निगम द्वारा एवं स्कूल होने का संकेत बोर्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगाने हेतु कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा नं. 7 :– दैनिक भास्कर के डी.बी. स्टार, जोधपुर संस्करण में प्रकाशित खबर आखलिया चौराहा पर ट्रेफिक लाईट झुकी शीर्षक के तहत प्रकाशित खबर के अविलम्ब कार्यवाही के सम्बन्ध में । क्रमांकः– न्यायिक/2017/5471 दिनांक 08.11.2017

निर्णय :– पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा क्षतिग्रस्त ट्रैफिक लाईट को दुरस्त करने के लिए निर्देशित किया गया ।

एजेण्डा नं. 8 :– **यातायात सहायता केन्द्र (ट्रैफिक बूथ्स) की मरम्मत के सम्बंध में ।**
पत्र क्रमांक :– य–2 ( )जोध–पु.उपा.याता./2017/5599 दिनांक 13.12.2017

क्र.सं.	स्थान	स्थिति
1.	बारहवी रोड चौराहा	पूर्ण मरम्मत योग्य
2.	आखलिया चौराहा	पूर्ण मरम्मत योग्य
3.	नई सडक चौराहा	पूर्ण मरम्मत योग्य
4.	जालोरी गेट चौराहा	पूर्ण मरम्मत योग्य

निर्णय :— समिति द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के अधीशाषी अभियन्ता (मुख्यालय) को ट्रैफिक बूथ्स की मरम्मत के लिए निर्देशित किया गया ।

<u>एजेण्डा नं. 9</u> :— **शहर की विभिन्न सडको पर नये साईन बोर्ड स्थापित करने व रंग रोगन के संबंध में । पत्र क्रमांक :— य–2( )जोध./पु.उपा.याता./2017/5698 दिनांक 26.12.2017 पत्र में उल्लेखित निम्न स्थानों पर साईन बोर्ड एवं रंग रोगन कराने बाबत–**

1. भदवासिया पुल के दोनो तरफ रास्ता जाने का बोर्ड – **अधिशाषी अभियन्ता (ROB)**
2. मण्डोर पुल के उपर रास्तों व गति सीमा का बोर्ड – **PWD**
3. भदवासिया पुल पर गति सीमा का बोर्ड – **अधिशाषी अभियन्ता (ROB) JDA**
4. किशोरबाग से लालसागर जाने के रास्ता का बोर्ड – **अधिशाषी अभियन्ता (North) JDA**
5. नागौर गेट पुलिस थाना के पास किला जाने का साईन बोर्ड – **PWD**
6. भगत की कोठी पाली से आने वाली रोड से ब्रिज के उपर जाने व नीये की तरफ की जाने का साईन बोर्ड – **अधिशाषी अभियन्ता (ROB) JDA**
7. मेडिकल चौराहा से वीर दुर्गादास ओवर ब्रिज के उपर जाने व नीचे की तरफ से जाने का साईन बोर्ड – **अधिशाषी अभियन्ता (ROB) JDA**
8. पाल रोड व दल्ले खां की चक्की पर लगे संकेत बोर्डो पर प्रचार पोस्टर लगने व उतारने के पश्चात् साफ दिखाई नहीं देते है – **नगर निगम, जोधपुर**

निर्णय :— समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि ऐसी जितनी भी सडके है वहां के क्षेत्राधिकार अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, एवं नगर निगम द्वारा ट्रैफिक पुलिस की सहायता लेते हुए क्षेत्राधिकार अनुसार संकेतक बोर्ड लगाने का कार्य किया जावें ।

<u>एजेण्डा नं. 10</u> :— **नाको के लिए स्थान चिन्हित कर जगह उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में ।**
पत्र क्रमांक :— भ.4(32)जोपुआ./भवन/2017/1112 दिनांक 28.12.2017
1. मण्डलनाथ नाका
2. भोपालगढ बाईपास (नागौर रोड पर)
3. **बनाड – जाजीवाल (जालेली फौजदारा चौराहा के पास)**
4. **डांगियावास बाईपास (गौरा होटल के पास)**

निर्णय :— समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पुलिस उपायुक्त, (यातायात) द्वारा स्थान का चयन करते हुए जयपुर के ट्रेंड के अनुसार अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किये जावें ।

<u>एजेण्डा नं. 11</u> :— **एम्स तिराहा, बासनी पर यातायात घुमटी स्थापित करने के सम्बन्ध में ।**
पत्र क्रमांक :— य–2 ( )जोध./पु.उपा.याता./रिटर्न/2017/123 दिनांक 08.07.2018

निर्णय :— समिति द्वारा एम्स तिराहा बासनी पर यातायात घुमटी स्थापित करने के लिए स्थान चयन हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के निदेशक अभियान्त्रिकी को निर्देशित किया गया ।

<u>एजेण्डा नं. 12</u> :– **यातायात शाखा में उपलब्ध डिजल स्मोक मीटर मशीने खराब हो जाने के सम्बन्ध में । पत्र क्रमांक – य–02(09)जोध–आयुक्त/विविध/2017–18/1904 दिनांक 15.09.2017**

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रादेशिक परिवहन विभाग, जोधपुर द्वारा इसकी पालना की जावें ।

<u>एजेण्डा नं. 13</u> :– **जोधपुर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात एवं जोधपुर के पत्र क्रमांक 353 दिनांक 22.01.2018 द्वारा बैठक में रखे जाने वाले एजेण्ड नोट**

1. <u>यातायात केबिनों हेतु भूमि आवंटनः–</u> पत्र क्रमांक :– अति.पु.उपा.याता./2017/961–62 दिनांक 13.12.2017 के संदर्भ में ।

जोधपुर शहर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर हैं और प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी हैं। इसी कारण शहर निरन्तर रूप से सभी दिशाओं में प्रसारित भी हो रहा हैं जिससे शहर के बाहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को प्रभावी व सुदृढ़ बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने हेतु एवं दुर्घटना की रोकथाम हेतु यातायात जाब्ता की विभिन्न बाहरी स्थानों पर तैनाती अतिआवश्यक हैं और ऐसे बाहरी स्थानों पर यातायात कर्मियों हेतु पर्याप्त सुविधाओं युक्त आधुनिक केबिन इस प्रकार निर्मित करवाये जाने की आवश्यकता हैं जिनमें ना केवल आमजन को चालान कम्पाउण्ड करवाने हेतु सुविधा मिले अपितु यातायात निरीक्षक के बैठने हेतु केबिन बन सके। साथ ही विभिन्न यातायात उपकरणों/पीयूषी मशीन इत्यादि को मौसम अनुसार सुरक्षित भी रखा जा सके। इसके साथ ही पुरूष/महिला यातायातकर्मियों हेतु शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो सके।

अतः निम्नांकित स्थानों पर यातायात केबिनों/नाकों हेतु जगह चिन्हित कर भूमि उपलब्ध करवाना आवश्यक हैं, जिससे भविष्य में स्थान सम्बन्धी परेशानी ना हो।

1. न्यू हाईकोर्ट शताब्दी सर्किल।
2. एम्स बासनी।
3. डी.पी.एस. चौराहा।
4. सांगरिया चौराहा।
5. मण्डलनाथ नाका।
6. भोपालगढ़ बाईपास नागौर रोड़ पर।
7. बनाड़–जाजीवाल (जालेली फौजदारा चौराहा के पास)।
8. डांगियावास बाईपास (गौरा होटल के पास)।

निर्णय :– उपर्युक्त स्थानों में डी.सी.पी. (यातायात) न्यूनतम भूमि का चिन्हिनीकरण कर प्रस्ताव सहित आवेदन करने का निर्णय लिया ।

2. <u>नो–वेण्डिंग रोड़ का निर्धारण करने के सम्बन्ध में:–</u>

जोधपुर शहर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ वीवीआईपी व वीआईपी मूवमेन्ट के कारण कुछ प्रमुख मार्गों को नो–वेण्डिंग रोड़ के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता हैं। इससे न

केवल वीआईपी मूवमेन्ट अपितु हाई–स्पीड ग्रीन कॉरिडोर बनाये जाने के दौरान दुर्घटना की सम्भावना का क्षीण किया जा सके। इस हेतु सक्षम प्राधिकारियों की कमेटी बनाकर बाद सर्वेक्षण मानकों के अनुरूप उचित कार्यवाही की जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :– नगर निगम द्वारा माह फरवरी 2018 के अन्त तक नो–वेण्डिंग रोड का निर्धारण करने का आश्वासन दिया गया ।

3. **शहर में विभिन्न स्थानों पर ब्लेक स्पॉट्स के सम्बन्ध में:–** पत्र क्रमांक :–य–2 ( )जोध / पु.उपा.याता / 2018 / 166–68 दिनांक 09.01.2018, पत्र क्रमांक :–य–2( )जोध. / पु.उपा.याता. / 2018 / 169–70 दिनांक 09.01.2018, पत्र क्रमांक :–य–2( )जोध. / पु.उपा.याता / 2018 / 171–73 दिनांक 09.01.2018, पत्र क्रमांक :–य–2( )जोध. / पु.उपा.याता / 2018 / 174–76 दिनांक 09.01.2018 जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर दुर्घटना अति सम्भाव्य क्षेत्र हैं। जिन्हें ब्लेक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया हैं। ऐसे स्थलों पर दुर्घटना की सम्भावनाओं को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की कमेटी बनाये जाकर उचित त्वरित सुधारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर ब्लैक स्पॉट्स के संबंध में एक समिति का गठन किया जावें जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर निदेशक अभियान्त्रिकी, पुलिस उपायुक्त, जोधपुर (यातायात) ब्लेक स्पॉट्स सूचीबद्ध स्थान का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

4. **बहुमंजिला भवनों के सामने पार्किंग समस्या के सम्बन्ध में:–**
जोधपुर शहर में दिन प्रतिदिन बहुमंजिला ईमारतों तथा बिग बाजार व मॉल इत्यादि की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हो रही हैं। उक्त ईमारतों में वास्तविक रूप में पार्किंग स्थलों का अभाव हैं, जिससे इनमें आने वाले ग्राहकों के वाहन सड़क किनारे नो–पार्किंग में पड़े रहते हैं, जो यातायात को बाधित करते हैं। इस पर यातायात पुलिस विधि अनुसार कार्यवाही भी करती हैं। अतः नगर निगम द्वारा ऐसे भवनों, कोचिंग संस्थानों, बिग बाजार, मॉल इत्यादि को भौतिक रूप से चैक किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करवाये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बहुमंजिला भवनों के संबंध में पार्किंग समस्या हेतु नगर निगम जोधपुर एवं पुलिस मुख्यालय (यातायात) स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्किंग स्थान पर ही पार्किंग करने हेतु भवन मालिकों को पाबंद करेंगे ।

5. **शहर में विभिन्न स्थानों पर कैट आईज लगवाये जाने के सम्बन्ध में:–**
जोधपुर शहर से विभिन्न शहरों को जोड़ने वाले कुल 05 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं। जिस पर विभिन्न स्थानों पर छोटी सड़कें आकर मिलती हैं और इन पर स्थित डिवाईडरों में मिडियन ओपनिंग्स भी हैं। इसके अतिरिक्त शहर में अति विशिष्ट व्यक्तियों की आमद रफत भी रहती हैं, जिसके लिए वीआईपी रूट निर्धारित किया गया हैं। इन सभी स्थानों पर आवश्यकता अनुसार कैट आईज लगवाया जाना आवश्यक हैं। वर्तमान में जिन स्थानों पर कैट आईज लगी हैं वे या तो खराब हो गई हैं या सड़क में दब गई हैं। अतः इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :— समिति द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों हेतु कैट आईज लगवाये जाने के संबंध में निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर व जोधपुर नगर निगम, पी.डब्ल्यू. डी./एन.एच. अपने–अपने क्षैत्राधिकार में कार्यवाही करें ।

6. सड़कों के मध्य सिंगल कर्व स्टोन डिवाईडर बनाये जाने के सम्बन्ध में

जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर लम्बी सड़कों के मध्य डिवाईडर नहीं बने होने के कारण वाहन चालक तेज गति से चलते हुए लेन बदलते हुए गलत दिशा में वाहन चला लेते हैं जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। मुख्य रूप से डीजल शैड रोड़ ऐसी सड़क हैं जिस पर यातायात पुलिस द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही करते हुए ट्राफिक बेरिकेड्स की मदद से अस्थाई डिवाईडर बनाये हैं। इससे दुर्घटनाओं की रोकथाम तो हुई हैं, परन्तु बड़ी संख्या में बेरिकेड्स क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, जिससे संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाया हैं। अतः इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :— समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सडकों के मध्य सिंगल कर्व स्टोन डिवाईडर बनायें जाने के संबंध जिला उधोग केन्द्र की बैठक की कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि पुलिस उपायुक्त यातयात जोधपुर को उपलब्ध कराई जावें पुलिस उपायुक्त, यातायात जोधपुर द्वारा गैरिसन इन्जिनियर से बात कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया गया ।

7. सरस बूथ के सम्बन्ध में:–

वर्तमान में जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर नगर निगम द्वारा सरस बूथ पॉर्लर आंवटित किये जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से फुटपाथ एवं सड़क के किनारे पर आवंटित किये जाते हैं। इससे न केवल पैदल चलने वाले राहगीरों को समस्या आती हैं, अपितु उनके द्वारा सड़क का उपयोग करने से सड़क पर चलने वाले वाहन भी प्रभावित होते हैं। ऐसे सरस बूथ पॉर्लर के आस–पास इनके उपभोक्ताओं द्वारा अपने वाहन खड़े कर खरीद फरोख्त करने से यातायात भी बाधित होता हैं। अतः सरस बूथ पार्लर आवंटन के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति निर्धारण किये जाने की आवश्यकता हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना हो।

निर्णय :— नगर निगम जोधपुर द्वारा सरस बूथ की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं गौरव पथ पर आवंटित सरस बूथ को हटाने के लिए एवं उन्हे अन्य उचित स्थान पर पुनः स्थापन/नवीन आवंटन नियमानुसार करने हेतु नगर निगम को निर्देशित किया गया ।

8. पे–पार्किंग स्थलों के सम्बन्ध में:–

जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध स्थान का उपयोग पे–पार्किंग के रूप में विकसित कर किया जा सकता हैं, ऐसे स्थानों का कमेटी बनाकर सर्वेक्षण करवाया जाना आवश्यक हैं तथा ऐसे स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :— समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि पे–पार्किग स्थलों के संबंध में नगर निगम जोधपुर द्वारा कार्य किया जाना है । अतः नगर निगम, जोधपुर को उक्त कार्य कर पालना पेश करें ।

9. <u>नगरीय बस सेवा रूट संख्या 04 का विस्तार के सम्बंध में:–</u>
श्री प्रवीण मोहनोत, उपाध्यक्ष, व्यवसाय विकास, जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र में नगरीय सेवा बस रूट संख्या 04 वर्तमान में साईबर पार्क रिको के आस पास तक आईटी कम्पनियों, वेण्डर्स, कारियर्रस की कम्पनियों में कार्यरत कर्मचारियों के आवागमन के मध्यनजर रूट को साईबर पार्क रिको तक बढाये जाने का निवेदन किया है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रादेशिक परिवहन विभाग, जोधपुर द्वारा रूट संख्या 4 को विस्तार करने के संबंध में सर्वे कर लिखित में रिपोर्ट डी.सी.पी. (यातायात) को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया ।

10. **<u>नगरीय परिवहन सेवा के बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित के सम्बंध में:–</u>** जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित जोधपुर मल्टीफक्शनल कॉम्पलेक्स प्रा.लि. के निकासी गेट के पास स्थित नगरीय बस सेवा के स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बंध में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात पूर्व द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट 633 दिनॉक 14.08.2017 में उल्लेखित किया है।

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आम नागरिकों को सुविधाओं को मध्य नजर रखते हुए नगरीय परिवहन बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जाता है ।

11. **<u>नये ऑटो रिक्शा स्टेण्डों व पूर्व निर्धारित स्टेण्डों पर ऑटो संख्या बढोतरी के सम्बंध में:–</u>**
श्री अशोक आचार्य, सचिव, जोधपुर ऑटो रिक्शा एकता यूनियन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में शहर में ऑटो रिक्शा स्टेण्डों व ऑटो संख्या बढोतरी के सम्बंध में पत्र में वर्णित स्थानों पर जॉच करवाई गई है, जांच से 27 स्थान उचित पाये गये हैं, जिन पर बैठक में आवश्यक निर्णय करावें।

निर्णय :– समिति द्वारा तहसीलदार (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में बनाई गई गठित कमेटी को सभी चिन्हित 27 स्थानों का सर्वे किये जाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें ।

12. (A) **<u>नगरीय परिवहन सेवा मार्ग सं. 37 के वृद्विकरण के सम्बन्ध में</u>** :–श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, विधायक, सूरसागर, जोधपुर द्वारा नगरीय परिवहन सेवा मार्ग सं. 37 के वृद्विकरण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र परबाद जांच इस कार्यालय के पत्रांक 62–63 दिनॉक 02.01.2018 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, इस सम्बंध में बैठक में आवश्यक निर्णय करावें।

निर्णय :– नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 37 के वृद्धिकरण के लिए उपायुक्त पुलिस (यातायात) को निर्देशित किया गया कि R.T.O. से प्राप्त Feasibility report का अध्ययन कर प्रस्ताव प्रेषित करें ।

(B) महापौर द्वारा नगरीय परिवहन सेवा मार्ग नं. 16 में वृद्धि बाबत् निवेदन किया गया ।

निर्णय :— समिति द्वारा नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 16 के वृद्धिकरण के लिए RTO व उपायुक्त पुलिस (यातायात) को निर्देशित किया गया कि आवश्यकता अनुसार मार्ग में वृद्धि करने के लिए अपने स्तर पर सर्वे कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

13. <u>जेब्रा लाईनिंग व पार्किंग लाईन तथा यातायात सड़क चिन्हों के सम्बन्ध में:—</u>

जोधपुर शहर में प्रमुख सड़कों पर बढ़ते हुए यातायात को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सड़क चिन्हों के साईन बोर्ड, विभिन्न चौराहों पर स्पीड लिमिट के साईन बोर्ड, रोड़ लाईनिंग जिसमें जेब्रा लाईन, पार्किंग लाईन, रोड़ सोल्डर लाईन इत्यादि बनाये जाने आवश्यक हैं। वर्तमान में जो रोड़ लाईन व सड़क चिन्ह लगा रखे हैं वह पुराने होने के कारण मिट चुके हैं तथा विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। अतः शहर में विभिन्न स्थानों पर सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रोड़ लाईनिंग व सड़क चिन्ह लगवाये जाने आवश्यक हैं। इस संबंध में यातायात पुलिस द्वारा सूची प्रेषित की जा चुकी है।

निर्णय :— समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर, रिको एवं हाउसिंग बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अपने—अपने क्षेत्राधिकार में स्थान चिन्हित कर जेब्रा लाईन व पार्किग लाईन तथा यातायात सडक चिन्हों के संबंध में कार्यवाही कर आगामी बैठक में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

14. <u>सिग्नल एवं ब्लींकर लाईटें लगवाने के सम्बन्ध में:—</u>

शहर के विस्तार एवं बढ़ते हुए यातायात को दृष्टिगत रखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुचारू यातायात संचालन हेतु विभिन्न स्थानों पर सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाकर सिग्नल एवं ब्लींकर लाईटें निर्धारित मानकों के अनुरूप लगाये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :— समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर, रिको एवं हाउसिंग बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अपने—अपने क्षेत्राधिकार में स्थान चिन्हित कर सिंग्नल एवं ब्लींकर लाईटें लगवाने के संबंध में कार्यवाही कर आगामी बैठक में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

15. <u>केन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में</u>

वर्तमान में जोधपुर शहर में वाहनों का दबाव अत्याधिक बढ़ रहा हैं तथा उपयुक्त एवं पर्याप्त पार्किंग स्थलों के अभाव में आमजन में नो—पार्किग में वाहन रखने की प्रवृति बढ रही हैं, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हैं तथा यातायात जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता हैं। वर्तमान में यातायात शाखा को जेडीए द्वारा दो केन उपलब्ध करवाई गई हैं, जो समुचित कार्यवाही हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अतः यातायात शाखा को 02 लाईट एवं 01 हैवी केन उपलब्ध करवाई जावे जो चार पहिया वाहनों को भी आसानी से उठा सके।

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर निगम, जोधपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यातायात शाखा को उपलब्ध कराई जा रही दो लाईट एवं एक हैवी क्रेन के संबंध में निदेशक वित जोधपुर विकास प्राधिकरण, यातायात शाखा से खर्च का ब्यौरा लेकर प्रस्ताव तैयार करेगे व आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगें ।

16. लो–फ्लोर केरिंग वाहन के सम्बन्ध में

जोधपुर शहर में नो–पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों को क्रेन द्वारा हटवाया जाता हैं, परन्तु एक क्रेन में मात्र 3–4 दुपहिया वाहन ही लोड हो पाते हैं, जिससे एक ओर तो कार्यवाही कम होती हैं और दूसरी ओर वाहनों को यथोचित स्थान पर रखवाकर पुनः लौटने में समय बर्बाद होता हैं। अतः एक मॉडिफाईड लो–फ्लोर वाहन उपलब्ध करवाया जावें जो एक बार में ही 25–30 दुपहिया वाहनों को एक साथ ही लोड कर यथोचित स्थान पर पहुंचा सके तथा क्रेन अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहे।

निर्णय :– समिति में निर्णय लिया गया कि इस हेतु नगर निगम जोधपुर को इस कार्य हेतु निर्देशित किया गया ।

17. मोटर साईकिलों के सम्बन्ध में:–

यातायात शाखा में कुल 42 मोटर साईकिल उपलब्ध हैं। यदि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 10 मोटर साईकिल उपलब्ध करवाई जावे तो यातायात व्यवस्था के प्रभावी पर्यवेक्षण में सहायता मिल सकती हैं।

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें ।

18. शहर में पार्किंग स्थलों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में:–

वर्तमान में शहर में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल, पे–पार्किंग स्थल तथा नो–पार्किंग जोन घोषित किये गये हैं जो पूर्व में अलग–अलग कार्यकारी एजेन्सियों यथा नगर निगम, यूआईटी, जेडीए इत्यादि द्वारा घोषित किये गये हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ते वाहनों के दबाव तथा भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर ट्राफिक कन्जेशन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे सभी पार्किंग तथा नो–पार्किंग स्थानों का सक्षम प्राधिकारियों की कमेटी बनाकर पुनरीक्षण करवाया जाना आवश्यक हैं, जिससे उक्त पार्किंग/नो–पार्किंग स्थलों की वर्तमान परिप्रेक्ष में प्रासंगिकता को सुनिश्चित किया जा सके।

निर्णय :– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एक सयुंक्त कमेठी का गठन किया जाए जिसमें निम्न अधिकारीयों को नियुक्त किया जाता है –

1. Dy. S.P. यातायात–प्रभारी अधिकारी
2. जिला परिवहन अधिकारी,जोधपुर
3. नगर निगम अधीशाषी अभियन्ता
   (श्री विनोद व्यास)

4. अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
(श्री राजेन्द्र सोनी)
5. अधिशाषी अभियन्ता (N.H.) PWD जोधपुर
(Shri P.k. Agarwal)
6. डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड
7. रिजनल मैनेजर रिको का प्रतिनिधी

उपरोक्त समिति द्वारा डी. वाई. एस. पी. (यातायात) से समन्वय कर शहर में पार्किग स्थलों के पुनर्निधारण हेतु सर्वे कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करने के लिए समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया ।

19. यातायातकर्मियों के लिए पोल्यूशन कन्ट्रोल मॉस्क के सम्बन्ध में:—

जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू तरीके से चलाने के लिए यातायात कर्मी प्रमुख चौराहा एवं मार्गों पर तैनात किये जाते हैं, जो निरन्तर वाहनों की भारी भीड़ के बीच अत्यन्त धूल एवं धुंए से भरी विषम परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हुए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। लगातार धूल—धुंए से प्रदूषित वायु में रहने से यातायात कर्मियों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण जन्य कुप्रभावों की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। अतः यातायात पुलिस को पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवता वाले पोल्यूशन कन्ट्रोल मास्क उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :— समिति द्वारायातायात कर्मियों के लिए पॉल्यूशन कन्ट्रोल मॉस्क 300 नफरी के लिए 300 मास्क उपलब्ध करवाने के लिए इसकी कीमत, उपयोगिता/Durability डी.सी.पी. (यातायात) द्वारा बतायें जाने के निर्देश प्रदान किये गये तथा साथ ही जन सहयोग से प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया ।

20. पब्लिक एड्रेस सिस्टम के सम्बन्ध में:—

जोधपुर शहर में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मेला, जुलूस, त्योंहार एवं शोभायात्राओं का आयोजन होता हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र एवं सम्भागीय मुख्यालय होने से आस—पास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से जोधपुर शहर में आते हैं। इसके साथ ही शहर में यत्र तत्र ठेला चालक तथा टैक्सी चालक अपने वाहनों को ग्राहकों की तलाश में जहां तहां खड़ा करने की कोशिश में रहते हैं। यातायात शाखा में उपलब्ध कुल 42 दुपहिया वाहनों में से कुल 35 वाहनों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने की आवश्यकता हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यातायात के सुचारू एवं सुगम संचालन में बाधा पहुंचाने वालों को दूर से एनाउन्समेन्ट कर हटाया जा सकता हैं तथा इसके माध्यम से लोगों की भावना रहती हैं कि पुलिस द्वारा एनाउन्समेन्ट कर दिया गया हैं इसके बाद कार्यवाही की जायेगी। जिससे वह यातायात नियमों की पालन आसानी से करते है। अतः यातायात शाखा को 35 नये पब्लिक एड्रेस सिस्टम उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :— समिति द्वारा डी.सी.पी. (यातायात) को निर्देशित किया गया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के संबंध में इसकी कीमत की जानकारी एवं Durability प्राप्त कर समिति को अवगत करावें जिससे आगामी बैठक में निर्णय लिया जा सकें ।

21. स्पीड ब्रेकर व रबल स्ट्रीप की आवश्यकता के सम्बन्ध में:—

जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर बढ़ते यातायात दबाव एवं युवा वर्ग द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने से दुर्घटना की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। अतः प्रमुख 'टी' जंक्शन पोईन्ट एवं तिराहों/चौराहा पर जुड़ने वाली छोटी सड़कों पर यथा आवश्यकता स्पीड ब्रेकर व रम्बलर स्ट्रीप बनाये जाने अपेक्षित हैं। इस हेतु सक्षम प्राधिकारियों की कमेटी बनाकर बाद सर्वेक्षण मानकों के अनुरूप उचित कार्यवाही की जाने की आवश्यकता हैं।

निर्णय :— समिति द्वारा जोधपुर शहर में बढते हुए यातायात दवाब एवं युवाओं वर्ग के द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाने से सडक दुर्धटना की सम्भावना को मद्देनजर को रखते हुए निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, नगर निगम जोधपुर द्वारा डी.सी.पी. यातायात प्रभारी की देख रेख में प्रमुख स्थानों पर रम्बर स्ट्रीप बनाये जाने हेतु स्थानों का चयन करते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया ।

12/2/18

अरूण पुरोहित
(RAS)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः— टीसीबी / 2018 / 216—235 दिनांकः- 12/02/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
05. पुलिस उपायुक्त—पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय एवं यातायात / पुलिस अधीक्षण—ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
07. सचिव महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर
09. महाप्रबन्धक (प्रचालन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
12. अपर मुख्य अभियन्ता,जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
14. कमाण्डर 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर
15. निदेशक—अभियांत्रिकी / आयोजना / वित / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

16. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उतर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यवाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने तथा संबधित अधिकारियों को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है ।
20. ....

12/1/18
अरूण पुरोहित
(RAS)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री रामसिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, एसीपी यातायात, जोधपुर
2.	श्री फतेह मोहम्मद खान, प्रादेशिक परिवहन विभाग, जोधपुर
3.	श्री सुखराम चौधरी, निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री भुवन भूषण यादव, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय (यातायात) जोधपुर
6.	श्री अरूण कुमार पुरोहित, सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री धनश्याम ओझा, महापौर नगर निगम, जोधपुर
8.	श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक वित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री पी.आर. बेनिवाल, निदेशक आयोजन व नगर नियोजक, जोधपुर
10.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, सिटी डिवीजन तृतीय, अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11.	श्री गणपत पंवार, जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर
12.	श्री पंकज राज, टी.आई. एडीएम ट्रैफिक जोधपुर
13.	श्री मोहनराम विश्नोई, एस. आई. प्रादेशिक परिवहन विभाग, जोधपुर
14.	श्री जयसिंह चोधरी, ए.सी.ई. पी.एच.ई.डी. जोधपुर
15.	श्री मदनलाल रॉयल, इन्सपेक्टर, एस.पी. जोधपुर
16.	श्री नवीन चन्द्र के.रॉय, XEN. PWD. सिटी डिवीजन, जोधपुर
17.	श्री स्वरूप सिंह, उपायुक्त (सूरसागर) नगर निगम, जोधपुर
18.	श्री अर्जुन सिंह राठौड, ए.आर.टी.ओ. यातायात, जोधपुर
19.	श्री श्रवण सिंह टाक, राजस्थान राज्य पथ परिहवहन निगम, जोधपुर
20.	श्री जे.के. सौनी, अधीक्षण अभियन्ता, सिटी, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर
21.	श्री महिपाल कुमार, ए.डी.एम. सिटी, कलेक्टर जोधपुर